संख्या:2208/XXIV-3/10/02(61)05

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3

देहरादून, दिनांकः 15 मार्च ~~फरवरी~~, 2011

विषयः सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, नैनीताल में बहुउद्देश्यीय स्टेडियम(Multi purpose Stadium) के निर्माण के प्रथम चरण के कार्य हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रधानाचार्य, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, नैनीताल के पत्र संख्याःएसएसजीके/एडम/5/2209 दिनांकः 21 दिसम्बर, 2010 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय सैनिक स्कूल घोड़ाखाल नैनीताल में बहुउद्देश्यीय स्टेडियम (Multi purpose Stadium) के निर्माण के प्रथम चरण के कार्य हेतु कार्यदायी संस्था उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, नैनीताल द्वारा गठित आंगणन के सापेक्ष औचित्यपूर्ण धनराशि रू01.28 लाख (रूपये एक लाख अट्ठाइस हजार मात्र) की धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 में प्रश्नगत योजनान्तर्गत शासनादेश संख्याः 1261/XXIV-3/10/02 (16)10 दिनांकः 13 सितम्बर, 2010 द्वारा आपके निवर्तन पर रखी गयी धनराशि रू0 275.00 लाख में से नियमानुसार व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति निम्नांकित प्रतिबन्धो के अधीन प्रदान करते हैः–

1. कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेड्यूल ऑफ रेट्स में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता/सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करना आवश्यक होगा।
2. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।
3. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
4. कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल का भली–भॉति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाए।
5. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 2047/XIV–219 (2006) दिनांकः 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

आपका

क्रमशः.....2

6. यदि विभिन्न मदों हेतु स्वीकृत धनराशि अवशेष रहती है तो उक्त धनराशि द्वितीय चरण के आंगणन में समायोजित की जाय।

7. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक में अनुदान संख्याः 11 के अधीन लेखा शीर्षक '2202–सामान्य शिक्षा–02–माध्यमिक शिक्षा–800–अन्य व्यय–00 आयोजनागत–09–सैनिक स्कूल घोड़ाखाल को अनुरक्षण/संचालन निधि हेतु अनुदान–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः 192(P)XXVII(3)2010-11दिनांकः 11 फरवरी, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,

/

(मनीषा पंवार)

सचिव।

पृष्ठांकनसंख्याः2208(1)/XXIV-3/10/02(61)05 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
3– निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड।
4– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5– निजी सचिव, सचिव विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
6– मण्डलायुक्त, कुमायूँ मण्डल नैनीताल।
7– अपर शिक्षा निदेशक, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
8– जिलाधिकारी, नैनीताल।
9– कोषाधिकारी, नैनीताल।
10– जिला शिक्षा अधिकारी, नैनीताल।
11– प्रधानाचार्य, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, नैनीताल।
12– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संशाधन निदेशालय सचिवालय।
13– वित्त विभाग(अनुभाग–3)/नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
14– कम्प्यूटर सेल, वित्त विभाग।
15– एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
16– सम्बन्धित कार्यदायी संस्था।
17– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जी0पी0तिवारी)

अनुसचिव।